प्रेस विज्ञप्ति

17.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में धोखाधड़ी से प्राप्त पैन के विरुद्ध जमा किए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के 1.80 करोड़ रुपये (लगभग) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह घोटाला वीडी सज्जन (सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, धारवाड़) द्वारा अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके किया गया था।

पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी की जांच में आरोपी व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी से दावा करने और उन लोगों के नाम पर केआईएडीबी से दोहरा मुआवजा निकालने के लिए इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली का पता चला है, जिन्हें पहले ही मुआवजा मिल चुका था या जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी।

आरोपी व्यक्तियों ने केआईएडीबी अधिकारियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी मुआवज़ा निकालने के लिए फर्जी पहचान पत्र अपनाए थे। फर्जी पहचान पत्र प्राप्त करने का तरीका इस प्रकार है: -

o आरोपी व्यक्तियों द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएडीआई) को आधार डाटाबेस में नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, ताकि वे वास्तविक भूमि मालिकों का प्रतिरूपण कर सकें, जिनके नाम पर भूमि अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया था।

o तदनुसार, वास्तविक भूमि मालिकों का प्रतिरूपण करते हुए फर्जी आधार पहचान पत्र बनाए गए।

o इन फर्जी पहचानों यानी अपडेटेड आधार का इस्तेमाल करके फर्जी पैन हासिल किए गए। इन पैन का इस्तेमाल बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक खाते खोलने में किया गया।

o फर्जी पहचान का उपयोग करके दूसरी बार मुआवजे का दावा करने के लिए केआईएडीबी के समक्ष फिर से आवेदन प्रस्तुत किए गए

o इन अवैध दूसरी बार मुआवज़ों को केआईएडीबी अधिकारियों ने इन आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके मंज़ूरी दी थी। ये मुआवज़े फ़र्जी पैन के साथ खोले गए बैंक खातों में जमा किए गए, जिन्हें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से तुरंत नकद में निकाल लिया गया।

o नकद निकासी के समय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-एन के अनुसार टीडीएस काट लिया गया और इन पैन के विरुद्ध जमा कर दिया गया। इन फर्जी पैन के विरुद्ध जमा किया गया टीडीएस कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय (पीओसी) है।

o धोखाधड़ी से प्राप्त मुआवजा वापस लेने के बाद, आधार डेटाबेस में नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसे जनसांख्यिकीय विवरण को फिर से मूल पहचान में संशोधित (वापस) कर दिया गया।

o माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से कई व्यक्तियों के आधार रिकॉर्ड प्राप्त करने के बाद इसकी पुष्टि की गई है।

o इस पद्धति से प्राप्त अवैध मुआवजा आरोपी व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया।

o कुछ मामलों में, यह पूरी प्रक्रिया मृतक भूस्वामियों के नाम पर की गई, जिन्हें पहले ही पूर्ण एवं अंतिम मुआवजा मिल चुका था।

o कुछ मामलों में, वास्तविक भूमि मालिकों ने भी आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और दूसरी बार मुआवजे का दावा किया, जिसे अवैध रूप से स्वीकृत किया गया और आरोपी व्यक्तियों के बीच राशि वितरित की गई।

फर्जी पैन का उपयोग करके खोले गए बैंक खातों से लगभग 46 करोड़ रुपये नकद निकाले गए हैं। आयकर अधिनियम की धारा 194-एन के तहत नकद निकासी के समय काटा गया कर इन पैन में जमा कर दिया गया है। इस तरह के टीडीएस, जो कि पीओसी है, को अब अस्थायी रूप से संलग्न कर दिया गया है।

गौरतलब है कि ईडी इस मामले में पहले ही करीब 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

आगे की जांच जारी है।